



क्रमांक: भा.वि.प्रा./किशनगढ़/वाणिज्य/मैक्सी कैब/2020/5332-38

दिनांक: 30.06.2020

Letter Of Intent to Award(LOIA)

सेवा में

M/s. YSR Tours,
315/1+896/1 Christian Ganj,
Near Apsara Mansion,
Ana Sagar Circular Road,
Ajmer- 305004 (Raj.)

विषय : General Car Rental Service (For Motor cab & Maxi cab) In Terminal Building (Arrival Hall) at Kishangarh Airport, Ajmer.

सन्दर्भ : Your Financial Bid opened on 22.06.2020 (Tender ID: 2020_AAI_44273_1)

महोदय,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त विषय से सम्बन्धित लाइसेंस (कुल क्षेत्रफल 5.20 वर्गमीटर) का अवार्ड निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है :-

1. इस लाइसेंस की अवधि एक (03) वर्ष के लिए होगी।
2. लाइसेंस अवधि समाप्ति से पूर्व भी लाइसेंस निम्न लिखित कारणों से समाप्त किया जा सकता है :
अ) 60 दिवस की पूर्व सूचना के आधार पर दोनों पार्टियों में से किसी के भी द्वारा बिना कोई कारण बताये।
ब) असन्तोषजनक सेवा के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 07 दिवस की पूर्व सूचना पर।
3. आपके द्वारा लाइसेन्स फीस के रूप में रु 81,000.00 + 18 प्रतिशत (जीएसटी)= रु. 95,580.00 प्रति माह देय होगी तथा 10 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि लागू होगी।
इसके अतिरिक्त यूटिलिटी चार्ज भी प्रति माह देय होगा, जिसकी दर नोटीफायड स्पेस लाइसेन्स फीस का 10 प्रतिशत होगी।
4. आपके द्वारा निम्नलिखित अग्रिम राशि इस LOIA जारी होने के 15 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी:-
(अ) अग्रिम लाइसेन्स फीस -
एक माह की अग्रिम लाइसेंस फीस रु. 81,000.00 + 18 प्रतिशत (जीएसटी)= रु. 95,580.00
(ब) अग्रिम यूटिलिटी चार्ज -
एक माह की अग्रिम यूटिलिटी चार्ज रु. 616.00 + 18 प्रतिशत (जीएसटी) = रु. 727.00
5. आपके द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा राशि इस LOIA जारी होने के 15 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी:-
(i) प्रथम वर्ष के 04 माह की लाइसेंस फीस + यूटिलिटी चार्ज के बराबर सुरक्षा राशि
(रु. 95,580.00 + रु. 727.00) x 04 = रु. 3,85,228.00
(ii) विद्युत/पानी उपयोग के लिए सुरक्षा राशि = रु. 69,920.00
6. उक्त राशि नेशनलाईज्ड/शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी NEFT/RTGS/DD/BG के रूप में ही स्वीकार्य होगी।
7. विद्युत प्रभार रु. 09.00 प्रति यूनिट की दर से देय होगा एवं दरें भा.वि.प्रा. द्वारा परिवर्तित की जा सकती है।

30/6/2020



8. LOIA जारी होने के 15 दिवस के अन्दर करारनामा रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा, जोकि राजस्थान राज्य से खरीदा हुआ होना चाहिए तथा तदनुसार अनुबंध पत्र प्रेषित करें।
9. लाईसेंस प्रारंभ करने हेतु Gestation Period की अवधि 30 दिन होगी।
10. आवंटित जगह में किसी भी प्रकार के सिविल अथवा इलेक्ट्रीकल निर्माण कार्य के लिए विस्तृत प्लान के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
11. आवंटित जगह को सब-लीज या लाइसेन्स पर किसी अन्य पार्टी को नहीं दिया जा सकेगा।
12. जीएसटी एवं अन्य करो में सरकार के द्वारा वृद्धि तथा परिवर्तन होने पर उसी दर से भुगतान करना होगा।
13. आवंटित स्पेस का माप मौके पर उपलब्ध वास्तविकता के अनुसार ही होगा, तदनुसार लाईसेंस फीस लागू होगी।
14. आपको विमानक्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुरक्षा कारणों से लोकल पुलिस / बी.सी.एस. से Security Clearance/verification प्राप्त करना जरूरी है, इस जानकारी/तथ्य की वैधानिक रूप से आवश्यकता है।
15. आपको सुरक्षा कारणों से बी.सी.एस. (B.C.A.S) नई दिल्ली से Approved Security Program प्राप्त करना अनिवार्य है एवम् इस संदर्भ में अधिक जानकारी बी.सी.एस वेबसाइट www.bcasindia.nic.in एवं www.bcasindia.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
16. प्रचालन की आवश्यकताओं को देखते हुए भा.वि.प्रा. आवंटित स्थान को परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा पार्टी इसके लिए बाध्य होगी।
17. इस पत्र में लिखित सभी शर्तें अनुबंध पत्र का हिस्सा होगी।
18. आपको 07 दिवस के अन्दर इस LOIA का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भवदीय

(आर. के. मीना)
सहायक महाप्रबंधक (विद्युत)
वाणिज्य-प्रभारी
कृते निदेशक विमानपत्तन

प्रतिलिपि :-

1. महाप्रबंधक (वाणिज्य) उ.क्षे., भा.वि.प्रा., नई दिल्ली।
2. निदेशक विमानपत्तन, भा.वि.प्रा., किशनगढ़।
3. वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त), भा.वि.प्रा., जयपुर।
4. सहा. महाप्रबंधक (टर्मिनल/सिविल), भा.वि.प्रा., किशनगढ़।
5. प्रबंधक (अभि-विद्युत), भा.वि.प्रा., किशनगढ़।
6. कनिष्ठ कार्यपालक (वित्त/सुरक्षा), भा.वि.प्रा., किशनगढ़।